

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 510]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 25 नवम्बर 2011—अग्रहायण 4, शक 1933

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 नवम्बर 2011

क्र. एफ 03-18-2011-सत्रह-मेडि-एक.—औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 20 की उपधारा (1) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में यथा विनिर्दिष्ट विहित अर्हता रखने वाले निम्नलिखित अधिकारियों को उक्त अनुसूचि के कालम (4) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के लिए कालम (3) में यथा विनिर्दिष्ट ऐसी औषधियों या औषधियों के वर्ग या प्रसाधनों के संबंध में शासकीय विश्लेषक नियुक्त करती है :—

अनुसूची

अनुक्रमांक	अधिकारी का नाम तथा पदनाम	औषधि अथवा प्रसाधन का वर्ग	क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)
1	डॉ. अंजन पाल, एसोसियेट, (जीवाणु विज्ञानी) केन्द्रीय औषधि प्रयोगशाला, कोलकाता.	(क) औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 की अनुसूची ग एवं ग (1) में सम्मिलित औषधियों के तथा अनुसूची एवं ग(1) में विनिर्दिष्ट के अलावा समस्त औषधियों के समस्त वर्गों के संबंध में. (ख) सभी प्रसाधन	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य के लिए.
2	डॉ. सुबीर कुमार, तकनीकी अधिकारी, (जीवाणु विज्ञानी) केन्द्रीय औषधि प्रयोगशाला, कोलकाता.	(क) औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 की अनुसूची ग एवं ग (1) में सम्मिलित औषधियों के तथा अनुसूची एवं ग(1) में विनिर्दिष्ट के अलावा समस्त औषधियों के समस्त वर्गों के संबंध में. (ख) सभी प्रसाधन	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य के लिए.

(1)	(2)	(3)	(4)
3	डॉ. काजल दत्ता, एसोसियेट जीव रसायन विज्ञानी, केन्द्रीय औषधि प्रयोगशाला, कोलकाता.	(क) औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 की अनुसूची ग एवं ग (1) में सम्मिलित औषधियों के तथा अनुसूची एवं ग(1) में विनिर्दिष्ट के अलावा समस्त औषधियों के समस्त वर्गों के संबंध में. (ख) सभी प्रसाधन	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य के लिए.

F. NO. 3-18-2010-XVII-M-1.—In exercise of the powers conferred by the sub-section (1) and (3) of Section 20 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (No. 23 of 1940), the State Government, hereby, appoints the following officers, having prescribed qualifications as specified in column (2) of the Schedule given below, to be Government Analysts in respect of such drugs or classes of drugs or cosmetics as specified in column (3) for the areas specified in column (4) of the said Scedule :—

SCHEDULE

Sr. No.	Name of Designation of the officers	Class of Drugs or Cosmetics	Area
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Dr. Anjan Pal, Associate (Bacteriologist) Central Drugs Laboratory, Kolkata.	(a) In respect of all calsses of drugs including Schedule C & C (1) and other than those specified in Schedule C & C(1) of the Drugs and Cosmetics Rules, 1945 (b) All cosmetics	For the whole State of Madhya Pradesh.
1	Dr. Subeer Kumar Basu, Technical Officer, (Bacteriologist) Central Drugs Laboratory, Kolkata.	(a) In respect of all calsses of drugs including Schedule C & C (1) and other than those specified in Schedule C & C(1) of the Drugs and Cosmetics Rules, 1945 (b) All cosmetics	For the whole State of Madhya Pradesh.
1	Dr. Kajal Datta, Associate Biochemist, Central Drugs Laboratory, Kolkata.	(a) In respect of all calsses of drugs including Schedule C & C (1) and other than those specified in Schedule C & C(1) of the Drugs and Cosmetics Rules, 1945 (b) All cosmetics	For the whole State of Madhya Pradesh.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश जैन, उपसचिव.